एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 05 (सितम्बर-अक्टूबर, 2023)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

बीज मिनिकिट योजना (राजस्थान)

(*डॉ. नेमी चन्द मीना[1] एवं ओमप्रकाश मीना[2])
[1]प्राचार्य, बी. आर. कृषि महाविद्यालय , साहवा, चुरू
[2]मृदा वैज्ञानिक, काजरी, जोधपुर,राजस्थान
*संवादी लेखक का ईमेल पता: drncdmeenaagext2021@gmail.com

राजस्थान सरकार अपने राज्य के कृषक के लिए "मुफ्त बीज मिनिकिट" की योजना लायी है। राजस्थान बीज मिनिकिट के अंतर्गत सरकार उन बीजों को मुहिया करायेगी,जो बीज जलवायु के अनुकूलित हों, अच्छे किस्म के, अधिक उपज वाले हों। राज्य की सरकार मिनिकिट बीजों को छोटे किसान, सीमांत किसान, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, गरीबी किसान, को प्राथमिकता देगी। सरकार ने घोषणा करते हुए बताया की "Seeds Mini-kit Scheme Rajasthan" खरीफ की फसल के लिए बुवाई के 15 दिन पहले आवेदन करना होगा जिसके लिए किसान को अधिकतम मूल्य की लागत का केवल 10% भुगतान करना होगा।

राजस्थान कृषि विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष किसानों को बीज मिनिकिट वितरण किया जाता है। जिसके लिए लाभार्थी को पहले से आवेदन करना होता है। सरकार मिनिकिट बीज में अच्छे और उपजाव बीजों का वितरण करती है, जिससे किसान की आर्थिक आय में इजाफा हो सके। ये बीज सरकार के कृषि केंद्रों पर आवेदन करने के 15 – 20 दिन बाद उपलब्ध हो जाते हैं। जिसके लिए में बीजों की कुल लागत का 10% ही मूल्य देना होता है। बाकि सरकार द्वारा सब्सिडी मिलती है। राजस्थान बीज मिनिकिट योजना का लाभ केवल महिला कृषक ही उठा है।

राजस्थान मिनिकिट बीज योजना के लिए दस्तावेज-

राजस्थान मिनिकिट बीज योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।

आधार कार्ड, किसान कार्ड, राशन कार्ड, आवेदन फार्म, फोन नंबर , जमीनी कागज

राजस्थान बीज मिनिकिट योजना के लिए पात्रता-

राजस्थान बीज मिनिकिट योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्न पात्रता का होना आवश्यक है।

राज्य का मूल निवासी – राजस्थान मिनिकिट बीज योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।

कृषक – बीज मिनिकिट के लिए वही व्यक्ति वेदन कर सकता है जो, कृषक हो और कृषि करता हो।

बीज मिनिकिट का आवेदक – राजस्थान बीज मिनिकिट योजना के लिए जिस किसान ने आवेदन किया है उसे ही बीज मिनिकिट दिया जायेगा।

राजस्थान बीज मिनिकिट योजना की विशेषताएं-

बीज मिनिकिट योजना की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं।

वितरण प्रक्रिया – ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा तथा पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी द्वारा बाँटा जायेगा।

लाभार्थी – राजस्थान बीज मिनिकिट योजना के लाभार्थी छोटे किसान, सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसान तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों ।

भुगतान प्रक्रिया – लाभार्थी को मिनिकिट के कुल लागत का मात्र 10% भुगतान करना होगा।

मिनिकिट महिला के नाम पर दिए जायेंगे – सरकार ने निर्णय लिया है, कि बीज मिनिकिट महिलाओं के नाम पर दिए जायेंगे। चाहे जमीन पत्ति या ससुर के नाम पर ही क्यों न हो।

एक परिवार एक किसान – बीज मिनिकिट एक परिवार के एक व्यक्ति को ही दिया जायेगा।

सिंचाई भूमि – सरकार पहली प्राथमिकता सिंचाई भूमि वाले किसानों को देगी।

चयन प्रक्रिया – राजस्थन बीज मिनिकिट का चयन पहले उन लोगों का होगा जिन्हें 3 साल पहले तक योजना का लाभ नहीं मिला हो।

बीज मिनिकिट से संबंधित अन्य जानकारी-

बीज मिनिकिट से जुडी अन्य जानकारी निम्नलिखित है।

मिनिकिट का उद्देश्य – सरकार छोटे, कमजोर वर्ग के किसानो को कृषि के प्रति आकर्षित करना चाहती है।

कृषि को बढ़ावा – सरकार अच्छे व उनत किस्म के बीचों देकर फसल की पैदावार को बढ़ाना चाहती है।

किस्म बीज प्रदान प्रक्रिया – सरकार सिंचाई वाले क्षेत्र में अधिक पानी में होने वाले फसल के बीज देगी जैसे मक्का आदि। (मात्रा 5 किलोग्राम) तथा शुष्क क्षेत्र के लिए बाजरा जैसी फसल का बीज देगी। (मात्रा 5 किलोग्राम)

बीजों का वितरण – मिनिकिट बीजों का वितरण आवेदन के 15 – 20 दिन के बाद किया जायेगा।

मिनिकिट के कुल लाभार्थी – सरकार का लक्ष्य है की वह बीज मिनिकिट का का लाभ 10- 15 लाख किसानों को देगी।